न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.कं. /निगरानी 2015 निग / 3382/I/15

लक्ष्मीबाई पुत्री मदनदास जाति बैरागी
निवासी कस्बा श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र.
.............निगरानीकर्ता

बनाम

भवानीशंकर पुत्र मदनलाल जाति बैरागी
निवासी ग्राम कुडायथा जिला श्योपुर म.प्र.
............गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 के अंतर्गत श्रीमान तहसीलदार महोदय बडौदा के प्र.कं. 03/14–15/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 30.09.15 के विरूद्व प्रस्तुत की जा रही है।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यह कि अनावेदक भवानी शंकर निवासी ग्राम कुडायथा द्वारा ग्राम कुडायथा की भूमि सर्वे कमांक 106 मिन–1, 113 एवं 120 कुल रकबा 7.682 हेक्टेयर भूमि का वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्र.कं. 03/2014–15/अ–6 में दर्ज कर दिनांक 30.09.2015 को आलोच्य आदेश पारित कर वादित भूमि का नामान्तरण अनावेदक भवानीशंकर के पक्ष में कर दिया जबकि वादित भूमि अनावेदक/ निगरानीकर्ता के पिता की भूमि थी और भवानीशंकर वसीयतकर्ता मदनदास का दत्तक पुत्र था। ऐसी स्थिति में वादित भूमि पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण वादित भूमि की वसीयत करने के अधिकार वसीयतकर्ता को किसी एक विशेष व्यक्ति के पक्ष में नही था।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया का पालन किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण में न ही विधिवत इश्तहार जारी किया गया और न ही अन्य वारिसों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।
3. यह कि आवेदिका को दिनांक 18.09.15 को तहसील बडौदा में बुलाकर धोखे से हस्ताक्षर करवालिय गये तथा कहां गया कि तुम्हारे हिस्से की भूमि तुम्हारे नाम कर दी जावेगी, परन्तु जब पटवारी मौजा से पता किया तो मालूम चला सम्पूर्ण भूमि अनावेदक भवानीशंकर के नाम कर दी गई है। इसकारण से

कमंशः.............2

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 3382–एक/2015 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-5-16	यह निगरानी तहसीलदार बड़ौदा जिला श्योपुर कलॉ व्दारा प्रकरण क्रमांक 3/2014–15 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 30–9–15 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित एंव अनावेदक क्रमांक–2 के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव तहसीलदार बड़ौदा जिला श्योपुर कलॉ के प्रकरण क्रमांक 3/2014–15 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 30–9–15 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीदार व्दारा इस आदेश से ग्राम कुडायथा की भूमि सर्वे क्रमांक 106 मि. 1, 113, 120 कुल किता 3 कुल रकबा 7.682 हैक्टर पर मृतक मदनदास पुत्र जमुना दास बैरागी के स्थान पर अनावेदक क्र–1 का नामान्तरण स्वीकार किया है । तहसीलदार बड़ौदा का यह आदेश अपील योग्य है जबकि आवेदक ने सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की है। 4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	